कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 32/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना : सरायमीर, जनपद : आजमगढ़

संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट के तहत सरगना गिरफ्तार, विस्तृत आपराधिक इतिहास उजागर

- जनपद आजमगढ़ के थाना सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, पवई एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में **नकबजनी, चोरी, पशु चोरी, वाहन चोरी एवं शासकीय सम्पत्ति की चोरी** जैसी संगीन घटनाओं में संलिप्त एक **संगठित आपराधिक गिरोह** के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही की गई है।
- गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में निरन्तर **भय व दहशत का माहौल** व्याप्त था तथा आमजन मुकदमा दर्ज कराने एवं गवाही देने से कतराता था। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गिरोह के विरुद्ध **उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट)** के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

➡ **गिरोह का विवरण**

- **गैंग लीडर** अनवर पुत्र असलम निवासी – ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद (खपड़ागांव), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पुलिस अभिलेखों एवं विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि गैंग लीडर अनवर पुत्र असलम अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था।

➡ **गिरोह द्वारा कारित प्रमुख आपराधिक घटनाएं**

- **दिनांक 10.07.2024**
  - थाना सरायमीर क्षेत्र में रात्रि के समय ताला तोड़कर बकरी चोरी की घटना।
- **दिनांक 02/03.08.2024**
  - थाना सरायमीर क्षेत्र में एक मकान से हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कूलर, टिल्लू पम्प आदि की चोरी।
- **दिनांक 26.05.2024**
  - थाना फूलपुर क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 31 बोरी गेहूं–चावल चोरी कर CCTV कैमरा क्षतिग्रस्त किया गया।
- **दिनांक 28.02.2024 एवं 30.04.2024**
  - थाना पवई क्षेत्र में ट्यूबवेल से विद्युत मोटर व अन्य कीमती सामान चोरी।

➡ **गिरफ्तारी व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही**

- **दिनांक 04.08.2024** को थाना सरायमीर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए **गैंग लीडर अनवर पुत्र असलम** को गिरफ्तार किया गया।
- उपरोक्त गिरोह की संगठित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में **दिनांक 09.01.2026** को जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं लिंक नोडल अधिकारी (गैंग चार्ट) के साथ संयुक्त बैठक में **गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही को अनुमोदन** प्रदान किया गया।
- ➡ इसके क्रम में थाना सरायमीर पर—
  - **मु0अ0सं0 17/26 धारा 2ख(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ **गैंग लीडर का विस्तृत आपराधिक इतिहास**

अभियुक्त **अनवर पुत्र असलम** के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, शासकीय संपत्ति चोरी एवं आयुध अधिनियम से संबंधित **कुल 07 अभियोग पंजीकृत** हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

- **मु0अ0सं0 382/24**, धारा 3(5), 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 421/24**, धारा 3(5), 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 281/24**, धारा 380, 411, 427 भादवि थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 159/24**, धारा 34, 380, 411, 457 भादवि थाना पवई, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 279/24**, धारा 188, 336, 352, 427 भादवि व 127 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 284/24**, धारा 379/411/34 बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
- **मु0अ0सं0 422/24**, धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡ **निष्कर्ष**

- उक्त कार्रवाई से जनपद में **संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण** स्थापित होगा।
- पुलिस द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि **अपराधियों एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही** की जाती रहेगी।
- आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.01.2026 थाना – मुबारकपुर

पशुओं की चोरी कर उनका वध करके उसके मांस को विक्रय करने वाला वाँछित अभियुक्त कूटरचित दस्तावेज के साथ

1. **पूर्व की घटनाः-** दिनांक 17.12.2025 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान - दो अदद चोरी का भैंस, 02 अदद चाकू, 01 अदद चापड़, 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद स्कार्पियो, 01 अदद मो0सा0 बरामदगी व गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त के आधार पर मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4)BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री कमला सिंह यादव द्वारा की जा रही है ।
2. **गिरफ्तारी का विवरणः-** आज दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आमिर खान S/O मेहराब खान R/O सारायभाऊ थाना निजामाबाद आजमगढ को समय करीब 12.45 बजे पता इस्लामपुरा बारह बीघा मैदान (शाहगढ रोड) से पुलिस हिरासत में लिया गया पकडे गये उपरोक्त व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र इसलाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जनपद जौनपुर बताया। नियमानुसार उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद आधार कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम पता मो0 आमिर पुत्र इस्लाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जि0 जौनपुर बरामद हुआ तथा एक अदद पैनकार्ड बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर S/O इस्लाम अंकित है। एक अदद डी0एल बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर पुत्र इस्लाम पता जयहिन्द नगर झोपडपट्टी नियर सन्तोषी माता मन्दिर शिवाजी नगर मानकुर्द मुम्बई महाराष्ट्र 400043 अंकित है। तथा एक पर्स व एक अदद पोको कं0 का एनड्रायड मोबाइल बरामद हुआ। अभि0 से कडाई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा वास्तविक नाम आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना निजामाबाद जिला आजमगढ होना बताया। यह भी बताया कि मैने पुलिस से बचने के लिए पिता का नाम बदल कर फर्जी तौर पर अपने ससुर का नाम लिखकर उन्ही के पते पर अपनी पहचान छुपाकर फर्जी पता लिखवाकर आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा डी0एल0 बनवाया है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS का दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्त के उसके जुर्म से अवगत कराकर मु0अ0स0 535/25 धारा 317(2),317(4),318(2),338, 336(3),340(2) BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। फर्जी आधार कार्ड, डी0एल व पैन कार्ड के आधार पर मुकदमा अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS की बढोतरी की गयी। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है ।
3. **बरामदगी का विवरणः-** एक अदद आधार कार्ड, एक अदद डीएल, एक अदद पैन कार्ड
4. **नाम पता अभियुक्तः-** आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना नियामबाद जि0 आजमगढ
5. **पंजीकृत अभियोगः-** मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में धारा 318(2),338, 336(3),340(2) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
6. **आपराधिक इतिहासः-**

   अभियुक्त आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना नियामबाद जिला आजमगढ

   - मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में धारा 318(2),338, 336(3),340(2) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

- मु0अ0सं0 264/2015 धारा 323,366,376डी भादवि व 3(1)(12) SC/ST ACT थाना जीयनपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 89/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 123/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निजामाबाद, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 133/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निजामाबाद, आजमगढ़

7. **गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**
   - उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया
गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 पशु तस्कर गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण 01.हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. निसार पुत्र हनीफ निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 03. विशाल यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी भैरोदासपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ के विरुद्ध दिनांक 19.01.2026 को मु0अ0सं0 24/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 1986 थाना अतरौलिया का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ है। इस गिरोह द्वारा अवैध तरीके से जानवर/पशु चोरी कर बेच देने व प्राप्त धन से दुनियावी लाभ प्राप्त करने का अपराध कारित किया गया है। इन अभियुक्तों के विरूद्ध जानवर/पशु चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 202/2024, धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 –98/25 धारा–303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पूर्व में भी पंजीकृत किया गया था।

2. **गिरफ्तारी का विवरणः-** आज दिनांक 20.01.2026 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्तों की तलाश में मदियापार बाजार में मौजूद थे कि वांछित 01 अभियुक्त **हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़** उम्र करीब 42 वर्ष को **अचलीपुर अंडरपास** के नीचे से समय **10.50 बजे सुबह** उसके अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

3. पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 24/26 धारा 2(ख)(1)/ 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौलिया जिला आजमगढ ।

4. गिरफ्तार अभियुक्त– 1. हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष

5. पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0–202/24 धारा–379/411 भादवि थाना-अतरौलिया जनपद-आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 –98/25 धारा–303(2)/317(2) बीएनएस थाना-अतरौलिया जनपद-आजमगढ़।

6. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 गोविन्द मौर्य थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 सन्त कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट

थाना- निजामाबाद आजमगढ़

कई चोरियों में संलिप्त शातिर अभियुक्त चोरी के पम्प मोटर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

1. दिनांक 26.11.2025 को मुकदमा वादी राजेंद्र पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद पांडेय ग्राम बिशुनपुर थाना निजामाबाद नें प्रार्थना पत्र दिया कि 25.11.2025 की रात्रि मे चोरों ने टूबेल से 5 हार्स पावर का मोटर ताला तोडकर चुरा ले गये। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 13.01.26 को मुकदमा वादी संजीव यादव पुत्र देवनारायण यादव ग्राम कारवभार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ नें प्रार्थना पत्र दिया कि वो निजामाबाद एरिया मे इण्डस कम्पनी मे टेक्निशिया पद पर कार्यरत हैं 12/01/26 की सुबह गौसपुर साईट पर पहुचे तो देखा सेल्टर मे लगा ताला तोड़कर ऐमरान कम्पनी का दो सेल 200 AH अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 20.01.26 को उ0नि0 लाला राम मय हमराहगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मो0 सेराज पुत्र रूस्तम शाह निवासी कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को चोरी के 05 हार्स पावर की मोटर के साथ गौशाला दत्तात्रेय के पास रोड के बगल के झाड़ी के पास से समय करीब 10.20 बजे पर हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेज गया।

3. पंजीकृत अभियोग - **1.** मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस **2.** मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2)बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़।

4. गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 सेराज पुत्र रूस्तम शाह निवासी कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ ।

5. बरामदगी- 05 हार्स पावर की मोटर ।

6. आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 206/21 धारा 379, 411 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

2. मु0अ0स0 02/23 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471IPC थाना निजामाबाद ,आजमगढ

3. मु0अ0स0 03/23 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ

4. मु0अ0स0 517/24 3 धारा 60 Ex Act थाना निजामाबाद, आजमगढ

5. मु0अ0स0 402/25 धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ

6. धारा 227/22 धारा 411 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

7. मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़

8. मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2)बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़

7. गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 लाला राम 2. हे0का0 अखिलेश यादव 3. का0 अजय कुमार जायसवाल 4. का0 अनिल कुमार गुप्ता थाना निजामाबाद आजमगढ़

प्रेस- नोट

थाना- बरदह

तालाब से मछली चोरी कर बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **पूर्व की घटना/इतिहास**– दिनांक 19.01.25 को वादिनी मुकदमा चन्दन कश्यप W/Oपवन कश्यप ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना कि मेरे पति के नाम से ग्रा0पसिका में एक पोखरी मतस्य पालन हेतु आवन्टित हुयी है । जिसमे मछली पाली गयी है । मेरे पति वाहर रहते है । पोखरी के देख-रेख के लिए गाव के ही देवदत्त राय S/O स्व माता प्रसाद राय को जिम्मेदारी दिया गया है । दि0 18.01.26 कि भोर में समय लगभग समय 2.30 बजे मेरे ही गाव के अजय सरोज पुत्र नन्दलाल सरोज व सुरज सरोज पुत्र विनोद सरोज द्वारा जाल लगा कर मछली निकाल रहे थे । इनके द्वारा पूर्व में भी मेरी मछलीयाँ चोरी की गयी थी । इन लोगो कि मछली मारने कि सिकायत काफी दिनो से थी । उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡ **गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–** आज दिनांक 20.01.26 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों 1. अजय सरोज पुत्र नन्दलाल सरोज 2. सुरज सरोज पुत्र विनोद सरोज ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को मछली पकड़ने वाली जाल व 01 हजार रू/- नकदी के साथ समय 04.50 बजे ग्राम बकेश से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

➡ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. अजय सरोज पुत्र नन्दलाल सरोज ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. सुरज सरोज पुत्र विनोद सरोज ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़

➡ **बरामदगी का विवरण:-**

1. मछली पकडने की जाल (अभि0 सूरज के कब्जे से)
2. नगद एक हजार दस रुपये (अभियुक्त अजय सरोज के कब्जे से)

➡ **आपराधिक इतिहास-**

1. अजय सरोज पुत्र नन्दलाल सरोज ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़
मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस।

2. सुरज सरोज पुत्र विनोद सरोज ग्राम पसिका थाना बरदह जनपद आजमगढ़
मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस।

➡ **गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. उ0नि0पुनीत कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. हे0का नागेन्द्र पटेल थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. का0 दुर्गेश राय थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति
मेंहनगर जनपद आजमगढ़
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)**- दिनांक 19.01.2026 को वादिनी ने थाना मेहनगर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी राजन सोनकर पुत्र सरेम सोनकर ग्राम बसिला थाना मेहनगर आजमगढ द्वारा वादिनी को करीब 2 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया जब शादी करने की बात आई तो शादी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 69 बीएनएस थाना मेंहनगर पर पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

➡ **गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण** दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त राजन सोनकर पुत्र सरेम सोनकर सा0 बसिला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को समय 11.05 बजे भोरमपुर पेट्रोल पम्प थाना मेंहनगर से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** राजन सोनकर पुत्र सरेम सोनकर सा0 बसिला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष।

➡ **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 532/25 धारा 70(2) बीएनएस 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5क SC/ST ACT थाना मेंहनगर।

➡ **गिरफ्तारी करने वाली टीम** – उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह हे0का0 शिवपूजन यादव, का0 राजन कुमार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

साइबर फ्राड से पीड़ित युवक की ₹18,422/- की धनराशि त्वरित कार्रवाई से वापस कराई गई।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत साइबर अपराध के एक मामले में पुलिस की तत्परता एवं तकनीकी दक्षता से पीड़ित को राहत प्रदान की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2025 को आवेदक सूरज कुमार पुत्र नन्दलाल गुप्ता, निवासी ग्राम कटरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा गलती से ₹18,422/- की धनराशि किसी अन्य के खाते में स्थानांतरित हो गई थी।
इस संबंध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत कराई गई, जिसका Ack No. 23108250121066 है।
शिकायत प्राप्त होते ही थाना मुबारकपुर की स्थानीय साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार पूरी धनराशि ₹18,422/- आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।
साइबर अपराध के प्रमुख कारण-

- गलत खाते/क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर
- जल्दबाजी या बिना जांच किए ऑनलाइन भुगतान
- फर्जी लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा
- डिजिटल लेनदेन के नियमों की जानकारी का अभाव

➡ **साइबर अपराध से बचाव के उपाय-**

✔ पैसे ट्रांसफर करने से पहले नाम व खाता संख्या अवश्य जांचें

✔ अनजान लिंक या क्यूआर कोड पर भुगतान न करें

✔ किसी को भी ओटीपी, पिन, पासवर्ड साझा न करें

✔ संदिग्ध स्थिति में तुरंत लेनदेन रोकें

यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी हो जाए तो तत्काल-

➡ साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें

➡ www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें

➡ **साइबर टीम का विवरण-**

नि0अ0 अखिलेश शुक्ल
उ0नि0 आशुतोष मौर्य
का0 रोहित उपाध्याय
म0का0 प्रियंका तिवारी

जनपद पुलिस नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा हेतु निरंतर सजग एवं तत्पर है।

प्रेस - नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 461/2025 धारा 108 बीएनएस से संबंधित एक गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

☐ **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 12.11.2025 को वादी आवेदक थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन की शादी वर्ष 2018 में संदीप पाठक के साथ हुई थी। शादी के बाद वादी की बहन को उसके पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन प्रताड़ित व मारपीट की जाती थी। प्रताड़ना से तंग आकर वादी की बहन द्वारा दिनांक 03.11.2025 को आत्महत्या का प्रयास किया गया, गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान दिनांक 11.11.2025 को उनकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जीयनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 461/2025 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

☐ **गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक- 20.01.2026 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त
संदीप पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी सिकरौरा, थाना जीयनपुर
को कंजरा मोड़ से समय लगभग 09:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. संदीप पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय, निवासी – सिकरौरा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

➡ **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

01. मुकदमा अपराध संख्या 461/2025 धारा 108 बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

➡ **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

01. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
02. का0 रानू सैनी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस - नोट

साइबर फ्राड के शिकार छात्र की 18,481.90/- रुपये की धनराशि त्वरित कार्रवाई से वापस कराई गई।

जनपद आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र अंतर्गत साइबर फ्राड के एक मामले में पुलिस की तत्परता एवं तकनीकी दक्षता के चलते पीड़ित को न्याय दिलाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

आवेदक श्री मुलायम चौहान पुत्र श्री रामजनम चौहान, निवासी शाहगढ़, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, पेशे से छात्र हैं। आवेदक द्वारा टेलीग्राम ऐप पर प्राप्त एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के कारण उनके बैंक खाते से 18,481.90/- रुपये की धनराशि कट गई। इस संबंध में आवेदक द्वारा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए त्वरित एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप साइबर फ्राड से निकाली गई संपूर्ण धनराशि 18,481.90/- रुपये पीड़ित के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।
पीड़ित को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक परामर्श दिया गया।

साइबर फ्रॉड के सामान्य तरीके

01. फर्जी लिंक/ऐप – टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से भेजे गए लालच भरे या धमकी वाले लिंक।
02. फर्जी कॉल – बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर, पुलिस या किसी सरकारी विभाग के नाम पर कॉल।
03. ओटीपी/पिन की मांग – खाते की सुरक्षा या केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी या पिन पूछना।
04. ऑनलाइन जॉब/इनाम/लोन फ्रॉड – घर बैठे कमाई, इनाम या आसान लोन का झांसा।
05. सोशल मीडिया हैकिंग – फर्जी प्रोफाइल या लिंक के जरिए अकाउंट हैक करना।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय-

01. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
02. किसी भी व्यक्ति को ओटीपी, पिन, पासवर्ड, एटीएम विवरण साझा न करें।
03. बैंक या सरकारी विभाग कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगते।
04. संदिग्ध कॉल या संदेश आने पर तुरंत सतर्क रहें।
05. मोबाइल में केवल आधिकारिक ऐप ही डाउनलोड करें।

➡ यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें अथवा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर स्थित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विधनेश वर्मा
उ0नि0 नीतीश सिंह
का0 महेश कुमार
एवं समस्त साइबर टीम, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।